घरेलू हिंसा क्या है?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत

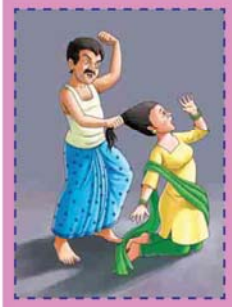

शारीरिक हिंसा

- महिला को शारीरिक दर्द या चोट पहुँचाना, धमकी देना
- महिला की जान को खतरा पहुँचाना, शारीरिक अंग या स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाना या किसी की जान लेना
  उदाहरण - मारपीट, थप्पड़ मारना, काटना, लात मारना, धक्का देना

यौन हिंसा

- ऐसा यौन व्यवहार जो महिला के लिए अपमानजनक हो या उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाता हो
- बलपूर्वक सम्भोग करना
- अश्लील फिल्म, चित्र, साहित्य देखने के लिए मजबूर करना
- बाल यौन हिंसा

मौखिक और भावनात्मक हिंसा

- महिला का अपमान, उपहास करना, उसको गाली देना, नीचा दिखाना
- बच्चे या लड़का पैदा न होने पर अपमान करना
- चरित्र पर इल्जाम लगाना
- दहेज सम्बंधित अत्याचार
- किसी करीबी रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना
- आत्महत्या करने की धमकी देना
- महिला को उसकी इच्छा के विरूद्ध शादी करने को मजबूर करना
- महिला को उसके पसन्द के व्यक्ति से शादी करने पर रोक लगाना

आर्थिक हिंसा

- महिला को आर्थिक या धन सम्बंधि संसाधन को देने से इन्कार करना
  जैसे कि - खाना, कपड़े, दवाईयाँ, अन्य घरेलू वस्तूओं की पूर्ति नहीं करना, स्त्रीधन, भरण-पोषण नहीं देना
- महिला की सम्पत्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध बेचना या किसी और के नाम करना
- महिला को बेघर कर देना या उसको घर के किसी भाग को इस्तेमाल करने से रोकना
- महिला के कार्यक्षेत्र में दखलअंदाजी करना
  जैसे कि - महिला को नौकरी न करने देना, काम की जगह जाकर परेशान करना, वेतन ले लेना

कानून के तहत पीड़ित महिला को कौन सी राहत उपलब्ध है?

सुरक्षा आदेश

- महिला के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा पर रोक
- महिला से बातचीत या अन्य तरीकों से सम्पर्क करने पर रोक
- महिला के काम के स्थान या बच्चों के स्कूल/कॉलेज में जाकर मिलने पर रोक
- महिला की सम्पत्ति को बेचने, बैंक खाते/लॉकर, स्त्रीधन इस्तेमाल करने पर रोक

अभिरक्षा आदेश

- महिला को उसके बच्चों की अभिरक्षा/संरक्षण की अनुमति देना

मजिस्ट्रेट

इन आदेशों को पारित कर सकते हैं

आवास आदेश

- महिला को घर से बेघर करने पर रोक
- घरेलू हिंसा करने वाले पुरुष को घर के किसी भाग में प्रवेश करने से रोकना
- घर को बेचने या किसी और के नाम करने पर रोक लगाना
- घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्ति को आदेश देना कि महिला के लिए किसी दूसरे सुविधाजनक घर की व्यवस्था करे

मुआवजा

- घरेलू हिंसा के कारण महिला को हुई हानि जैसे - शारीरिक चोट, मानसिक प्रताड़ना व अन्य नुकसान के लिए मुआवज़ा देना

आर्थिक राहत

- भरण-पोषण के लिए खर्चा देना

SAATHII Solidarity and Action Against The HIV Infection in India
PWN+
UN WOMEN United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
MARG MULTIPLE ACTION RESEARCH GROUP